



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011
दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in

सत्यमेव जयते



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
सर्वोच्च लेखाधिकार संस्थान
Dedicated to Truth in Public Interest


क्रमांक /नि.वि.1/स.4/सं.ले.श्रे.प/ ७-११३

दिनांक²¹ 8.2023

निम्नलिखित परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापालों को संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा सितम्बर 2023 में सम्मिलित होने हेतु, उनका अनुक्रमांक उनके नाम के सम्मुख दर्शाया गया है तथा परीक्षा केन्द्र मनोरंजन संस्था कक्ष (भूतल), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम, म.प्र. 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल है।

क्रमांक	परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापाल का नाम	संभाग का नाम	अनुक्रमांक
1	श्री शांकुल	जल संसाधन संभाग कटनी	1
2	श्री राकेश कुमार	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा	2
3	श्री मोहसिन खान	रानी अवन्ती बाई सागर बायीं तट नहर, संभाग क्रमांक-2 बरगी हिल्स जबलपुर	3
4	श्री साहिद अली	जल संसाधन संभाग, अम्बाह मुरैना	4
5	श्री सचिन मेहता	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उज्जैन	5
6	श्री आशीष अग्रवाल	जल संसाधन संभाग अशोकनगर	6
7	श्री विमल कुमार शर्मा	ग्रामीण यंत्रि सेवा संभाग क्रमांक-2 सागर	7
8	श्री राहुल साहू	भांडेर मुख्य नहर सम्भाग भांडेर, दतिया	8
9	कु पूजा कुमारी.	भू जल सर्वेक्षण इकाई क्रमांक-5 जबलपुर	9
10	श्री आदर्श कुमार	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सतना	10
11	श्री अनुराग सिंह राजावत	जल संसाधन संभाग लहार ब्रांच कैनाल संभाग लहार भिंड	11
12	कु ऐश्वर्या वर्मा.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग नर्मदापुरम	12
13	श्री शरदेंदु शेखर	हाइड्रोमैट्रोलोजी संभाग क्र-3 रीवा	13
14	श्री अंकित सौरभ	लाइट मशीनरी एंड ई एन्ड एम संभाग नरसिंहपुर	14

15	श्री जीतेन्द्र कुमार मौर्य	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छतरपुर	15
16	श्री प्रमोद कुमार बिलोनिया	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग , झाबुआ	16
17	श्री हिमांशु	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग आगर मालवा	17
18	श्री पंकज कुमार	जल संसाधन संभाग, गुना ,राधोगढ़	18


 वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

//विशेष सूचना//

- 1.परीक्षा दिनांक 11.09.2023 से 15.09.2023 तक सम्पन्न होने जा रही है । परीक्षा आरंभ होने का समय सुबह 10.30 से है ।
2. परीक्षा भवन परीक्षा आधा घन्टा पूर्व खुलेगा ।
3. परीक्षार्थी परीक्षा भवन में कोई भी ऐसी सामग्री अपने साथ न रखे जिसका परीक्षा में कोई अनुचित लाभ उठाया जा सके । अनुचित सामग्री पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
4. उत्तर पुस्तिका लौटाने के पश्चात परीक्षार्थी को पुनः परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा ।
- 5 .परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्रों का उत्तर उन्ही माध्यम से लिखना होगा जिन माध्यमों को वह अपने आवेदन-पत्र में दर्शा चुका है । परीक्षा हाल में परीक्षा के माध्यम को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी
6. परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान मूल, गणितीय कार्या जैसे जोड़, गुणा भाग आदि को करने के लिए साधारण संगणक (केलकुलेटर) का उपयोग कर सकते हैं । संगणक की व्यवस्था परीक्षार्थी को स्वयं करनी होगी एवं उसके सही होने की जवाबदारी भी परीक्षार्थी की ही होगी ।
7. परीक्षार्थी, सलग्न प्रवेश पत्र प्रारूप में, नाम, संभाग का नाम तथा अनुक्रमांक दर्ज कर स्वयं के हस्ताक्षर, कार्यपालन यंत्री से प्रमाणित कराएंगे ।



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011
दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

//प्रवेश पत्र//

श्री/कु.....परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापाल, कार्यालय
कार्यपालन यंत्री को संभागीय
लेखापाल श्रेणी परीक्षा सितम्बर 2023 में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है। इनका
अनुक्रमांक.....है तथा परीक्षा केन्द्र मनोरंजन संस्था कक्ष (भूतल) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं
हक) प्रथम, म.प्र. 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल है।

.....
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

.....
कार्यपालन यंत्री

//विशेष सूचना//

1. परीक्षा दिनांक 11.09.2023 से 15.09.2023 तक सम्पन्न होने जा रही है। परीक्षा आरंभ होने का समय सुबह 10.30 से है।
2. परीक्षा भवन परीक्षा आधा घन्टा पूर्व खुलेगा।
3. परीक्षार्थी परीक्षा भवन में कोई भी ऐसी सामग्री अपने साथ न रखे जिसका परीक्षा में कोई अनुचित लाभ उठाया जा सके। अनुचित सामग्री पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. उत्तर पुस्तिका लौटाने के पश्चात परीक्षार्थी को पुनः परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा।
5. परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्रों का उत्तर उन्ही माध्यम से लिखना होगा जिन माध्यमों को वह अपने आवेदन-पत्र में दर्शा चुका है। परीक्षा हाल में परीक्षा के माध्यम को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान मूल, गणितीय कार्या जैसे जोड़, गुणा भाग आदि को करने के लिए साधारण संगणक (केलकुलेटर) का उपयोग कर सकते हैं। संगणक की व्यवस्था परीक्षार्थी को स्वयं करनी होगी एवं उसके सही होने की जवाबदारी भी परीक्षार्थी की ही होगी।